

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी**

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, पायलां कलां

प्रकरण सं.:- 109/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1548

दिनांक:- 13.06.18

**आदेश**

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी पायलां कलां व भू.अ.नि. पायलां कलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम कागो की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 में खाता संख्या 80 में वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि लिच्छमणाराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर लच्छाराम पुत्र मूलाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 13.06.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1549-1551

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री लच्छाराम पुत्र मूलाराम निवासी कागो की ढाणी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी